निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या 59 वर्ष 2018-19

यह निरीक्षण प्रतिवेदन **अधीक्षण अभियंता, छठाँ वृत्त, लोक निर्माण विभाग, उत्तरकाशी** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **अधीक्षण अभियंता, छठाँ वृत्त, लोक निर्माण विभाग, उत्तरकाशी** के माह **05/2017 से 09/2018 त**क के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री मनीष श्रीवास्तव, स0ले0प0 अधि0 तथा श्री गौरव रावत , लेखा परीक्षक द्वारा श्री जगमोहन सिंह रावत, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी, के पर्यवेक्षण में दिनांक **15.10.2018 से 18.10.2018** तक सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री आर.एन.यादव, श्री डी.के. मट्टू एवं श्री राजेश डोभाल, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 19/05/2017 से 24/05/2017 तक श्री नीरज चुंगू वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्णकालिक पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमे माह 06/2016 से 04/2017 तक के लेखा अभिलेखो की जांच की गयी।
वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 05/2017 से 9/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी

(i) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः-** अधीक्षण अभियंता, छठाँ वृत्त, लोक निर्माण विभाग, उत्तरकाशी में लोक निर्माण विभाग के निर्माण एवं रख-रखाव के कार्य/ कार्य क्षेत्र वृत्त-उत्तरकाशी

इकाई को बजट आंवाटन- उत्तराखण्ड सरकार द्वारा दिया जाता है |

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत है:-

(` लाख मे)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य	बचत
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	(+)	(-)
2016-17			81.19	81.15				0.4
2017-18			101.52	99.64				1.88
2018-19 (upto 09/2018)			82.80	26.54				

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

(धनराशि लाख रु. में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय अधिक्य (+)	बचत (-) `
2015-16	**शून्य**				
2016-17					
2017-18)					
2018-19					

(iii) इकाई को बजट आवंटन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई "सी"श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

1. सचिव
2. प्रमुख अभियंता
3. मुख्य अभियंता
4. अधीक्षण अभियंता

(iv) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में **अधीक्षण अभियंता,** छठाँ **वृत्त लोक निर्माण विभाग, उत्तरकाशी** को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 12/2017 को विस्तृत जांच हेतु अधिक व्यय के आधार पर चयनित किया गया। विस्तृत जांच हेतु लेखापरीक्षा मे अधिक व्यय के आधार पर N/A का चयन किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग 2 (ब)

प्रस्तर -1 विभागीय शिथिलता एवं अनुश्रवण में कमी के कारण रु° 1114.06 लाख के कार्य का अपूर्ण रहना।

अधीक्षण अधियंता, छठाँ वृत्त, लोक निर्माण विभाग, उत्तरकाशी के अधिलेखों की लेखापरीक्षा में पाया गया कि वृत्त के अंतर्गत विभिन्न खण्डो के अंतर्गत चल रहे 08 कार्य, जिनकी कुल लागत रु° 1114.06 लाख थी, जो वर्ष 2005 से 2013 के मध्य स्वीकृत हुये थे स्वीकृति के 5 से 13 वर्ष व्यतीत हो जाने के बावजूद कार्य पूर्ण नहीं किए जा सके थे। उक्त देरी के कारण न केवल लागत में वृद्धि की संभावना अपितु कार्य आंशिक रूप से पूर्ण रहने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

क्रम संख्या	कार्य का नाम	स्वीकृति वर्ष	स्वीकृत धनराशि (लाख में)	व्यय (लाख में)
1.	खलसी मो मा के थौला से कुमराड़ा मार्ग (किमी 0.00 से किमी 2,00) का निर्माण	03/2013	25.16	24.46
2.	बड़ेथी बनचौरा बद्रीगाड़ मो मा से बरेठ मो मा का निर्माण	03/2013	37.74	24.92
3.	डूँड़ा धनारी सेम मुखेम मो मा का पटुड़ी से आगे सेम नागराजा मंदिर तक विस्तार	07/2008	367.50	17.76
4.	विसाटगाँव घंडाला तक मो मा	03/2013	50.32	30.37
5.	नोगाँव ब्लाक देहली यमुनोत्री मो मा से रिखाउ गाँव तक	09/2013	72.16	34.43
6.	आराकोट क्लीच थुनारा दामटी मो मा	10/2005	221.80	9.15
7.	मियागाड से कुनारा तक मो मा	03/2008	264	56.86
8.	मनेरी जलोल मोटर मार्ग के किमी 02 से ग्राम सैज हेतु संपर्क मार्ग	03/2008	75.38	64.02
योग			**1114.06**	**261.97**

अधीक्षण अभियंता प्रशासनिक व तकनीकी प्रमुख होने के कारण वृत्त के अधीन सभी खण्डों के अंतर्गत किए जा रहे सभी कार्यों के monitoring and effective control लिए उत्तरदायी है। कार्य पूर्ण होने में देरी पर इकाई द्वारा उन कार्यों का उचित अनुश्रवण नहीं किया गया।

उक्त प्रकरण पर पुछे जाने पर इकाई द्वारा बताया गया कि खण्डो को समय समय पर निर्देशित किया जाता है। खण्ड का उत्तर संतोषजनक नहीं था क्योंकि इकाई इसके साक्ष्य के रूप में कोई भी अभिलेख देने में असमर्थ रहा। साथ ही उपरोक्त कार्य 05 से 13 वर्ष व्यतीत होने के पश्चात भी पूर्ण न होने से ग्रामीणो को यातायात के लाभ से वंचित रखा गया।

अतः विभागीय शिथिलता एवं अनुश्रवण में कमी के कारण रु° 1114.06 लाख के कार्य स्वीकृति के 5 से 13 वर्ष व्यतीत हो जाने के बावजूद भी अपूर्ण रहने का प्रकरण सज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
10/2012-13	-	1
13/2017-18	-	1,2,3

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
अनुपालन आख्या प्रधान महालेखाकार को प्रस्तुत कर दी जाएगी।				

<u>भाग-IV</u>

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

……………………………………………………………Nil…………………………………………………………….

भाग-V

आभार

1. कार्यालय **प्रधान** महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **अधीक्षण अभियंता, छठाँ वृत्त, लोक निर्माण विभाग, उत्तरकाशी** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि **लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः शून्य**

2. **सतत् अनियमितताएः शून्य**

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

नाम	पदनाम	**अवधि**
ई. एस एस तोमर	अधीक्षण अभियन्ता	(07/10/2016 से 16/08/2017)
ई धीरेंद्र कुमार	अधीक्षण अभियन्ता	(16/08/2017 से 14/09/2017)
ई एस के राय	अधीक्षण अभियन्ता	(14/09/2017 से 16/02/2018)
ई एन पी सिंह	अधीक्षण अभियन्ता	(16/02/2018 से 16/03/2018)
ई एस के राय	अधीक्षण अभियन्ता	(16/03/2018 से 09/04/2018)
ई एन पी सिंह	अधीक्षण अभियन्ता	(09/04/2018 से 30/05/2018)
ई एस के राय	अधीक्षण अभियन्ता	(30/05/2018 से 21/06/2018)
ई अशोक कुमार	अधीक्षण अभियन्ता	(21/06/2018 से 15/10/2018)

4. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित खंडीय लेखाधिकारी खंड से सम्बद्ध रहे-**

लागू नहीं

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **अधीक्षण अभियंता, छठाँ वृत्त, लोक निर्माण विभाग, उत्तरकाशी** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार/ (आर्थिक क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जाये।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी

आर्थिक क्षेत्र - 2